

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क
(पैरा 2.2(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 :-
से करवाला लक्ष्मीपुरा

रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा को जोडने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सडक वन क्षेत्र से गुजरती है।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या -

ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) -

ग. वन मण्डल -

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2.00 हेक्टेयर

बारां

2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति-स्वीकृत/अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि

स्थान

(बड़े अक्षरों में नाम)

पता

एस० एस० मीना

अधिशायी अभियन्ता

प्रस्ताव की क्रम संख्या सा०नि०वि०खण्ड-शहाबाद

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

19/06/14

ग्राम स्वयंसेवक पदेन सांचे

ग्रामाचार्य/असनावर

E:\Eo\2)\संयोजक परिशिष्ट (प्रपत्र क) (14)

हस्ताक्षर

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर

30-10-2014

हस्ताक्षर

वन पाल

કચ્છનાં સ્થાન સમગ્ર ૭ કામોગત થિયો ગયા /

ગીઆણી રી

તિલેમ કાપાગિએલ વિલુઓ પર-પર્ચી કી
ગર્ડ /

અનલી

Abdullah

* ગાલ કૃષ્ણ કાર્પાલી ૭ પુલ્લ ગયા વિષે ગરુ
જાનાગો, જિયો પર-પર્ચી કી ગર્ડ /

કચ્છનાં સ્થાન

ગામ સમાપ્ત થિયો વિલુઓ પર સમિતિ-પર્ચી
કી ગર્ડ /

* સ્થાનનાં કિલ્લો ભાગલ (25 Sept જે ૦/૦૮/૨૦૧૫)

Manfred

કચ્છનાં સ્થાન

૭૧. સ્થાનનાં ભાગલ જે કીરમ કૃષ્ણ જે સમાપ્ત થિયો
જે રીયો જે માલમ જે સ્થાનનાં સમિતિ-પર્ચી
કી કાવચેપજન સમિતિ-પર્ચી કી ગર્ડ /

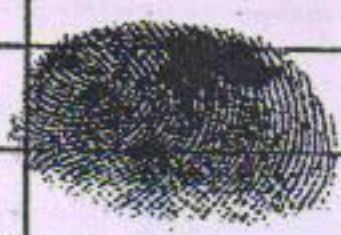
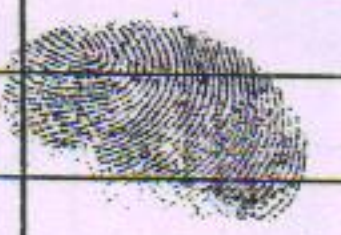
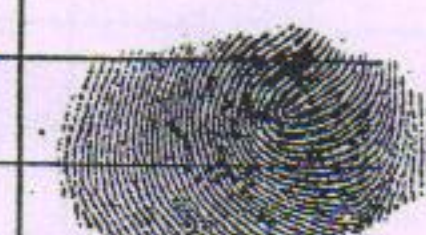
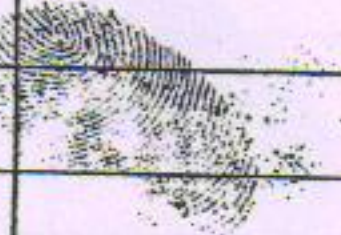
કચ્છનાં સ્થાન

કચ્છનાં સ્થાન

૭૨. સ્થાનનાં સમાપ્ત જે કીરમ કૃષ્ણ જે સમાપ્ત થિયો
જે રીયો જે માલમ જે સ્થાનનાં સમિતિ-પર્ચી
કી કાવચેપજન સમિતિ-પર્ચી કી ગર્ડ /

સ્થાનનાં સમાપ્ત જે કીરમ કૃષ્ણ જે સમાપ્ત થિયો
જે રીયો જે માલમ જે સ્થાનનાં સમિતિ-પર્ચી
કી કાવચેપજન સમિતિ-પર્ચી કી ગર્ડ /

सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
	जारी आयोजित की जाए।	
3	स्वच्छता सप्ताह के समापन पर शारीर एवं शहरी क्षेत्रों के बाह्य एवं कारिबाहों के लिए स्वच्छता के हुडे पर विज्ञापन एवं चिडका की प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए।	
4	अभिप्राय के लिए व्यक्तिगत समुदाय में जनआशीर्षी हेतु समायोजित कार्यवाही की जाए।	
5	मह प्रमाण दिया जाए की जनप्रतिनिधि, सिविल लोसाईलीन विधिक संगठन और अन्य क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों को उपरोक्त कार्यक्रम में सहयोग लेकर ले लीजेंगे को।	
6	राज्य अधिकारी / कर्मचारी उनके परिवार ले लीजेंगे या उनके लीजेंगे के माध्यम से स्वच्छ भारत कार्यक्रम में समायोजित देने की कारवाही की जाएगी।	
	<u>आवश्यक की की जाने वाली गतिविधियां</u>	
7	नगरपाली अधिकारियों / कर्मियों एवं जनसमुदाय द्वारा समग्र 1200 अपराहन स्वच्छता पर्यवेक्षण जिसका माध्यम में विचारित की जाएगी।	
8	ग्राम पंचायतों / शहरी क्षेत्रों के वार्डों में मुले के शीघ्र ले मुक्ति के लिए समुदाय बाधा नि विविध गतिविधियां (घर, गली, पट्टा, लुके, नास्मों, नगरपाली भवन, समुदायिक भवनों में लाफ/सफाई) आयोजित की जाए।	
9	क्रियाओं में होल प्रभाव विचारित करके एकत्रित दिखाई देने की दृष्टि से घर, नगरपाली इफतर, लुके, होलील, लुके, बाजार, रेलवे स्टेशन वक कडो, द्वार, समास नडियां स्लीड, लाहाक, पार्कमों इमेज जगह पर लाफ/सफाई समुदायिक लक्ष्यित से सम्बन्धित विभाग करवाये।	
10	शाला भवनों एवं नगरपाली कार्यलय प्रातः गांधी भवन की कार्यवाही से लेकर एकत्रित मुले रखें।	
	गौ-पालय निर्माण 8 - व्यक्तिगत लाभ कर्ता के गौ-पालय निर्माण की कि राशि दी जाएगी	

नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	5	6
	ग्राम पंचायत - अलनावर में ठिके मराए ले शौचालय स्वीकृत है	
	ग्राम - स्वीकृत शौचालय संख्या	
	गोरेला - २०	
	गोपालपुरा - १०	
	अलनावर - १५	
	लगडियावानी - २०	
	खाना - २०	
	बिलवाई - २०	
	झीपुरा - २०	
	184	
	स्वीकृत राशि	
	मसुमरस मस ० =	
	अडवाल - ३२६०	
	उडवाल - २१५०	
	योग - ५४००/-	
	योगना मस ० =	
	५६००/-	
	अशदान ० = ९००	
	कुलयोग - ५४०० + ५६०० + ९०० = १०९००/-	
	ग्राम पंचायत को डिपॉजिटिंग कर के गैर पट मस अलगाव - १५००००/- प्राप्त हो चुके हैं अला उपस्थित सभी से आग्रह है कि वे योगदान लाभ उठाकर मुले में शौच से मुक्ति पायें।	
	स्वच्छता शपथ ० =	
	महात्मा गांधी ने हमें देश के लिए जीना सिखाया।	
	महात्मा गांधी ने मुलानी की जंजीरों को तोड़ के मां बमरती को आजाद किया।	
	आओ हम संकल्प करें	

पों का नाम

बैठक की कार्यवाही का विवरण

बैठक में उपस्थित
सदस्यों के हस्ताक्षर

4

5

6

गँडगी इर करना - यही भारत माता की बहुत
बड़ी सेवा है।

मैं शपथ लेता/लेती हूँ।

• स्वयं स्वच्छता के लिए हर वर्ष 100 घण्टे
या 10 हर लाला 10 घण्टे काम-दान
करते स्वच्छता के लक्ष्य को - चित्ताई करेगा/
करेगी।

• न गँडगी करेगा/करेगी, न गँडगी करे हूँगा/
हूँगी।

• मैं सबसे पहले स्वयं से मेरे परिवार से
मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से, स्वच्छता
की शुरुवात करेगा/करेगी।

• हम सब जानते हैं कि दुनिया के सभी देश
स्वच्छ हैं, जिसे नागडि गँडगी नहीं
करते हैं।

• हम गाँव - गाँव, गली - गली स्वच्छता
कमिशन की प्रचार करते रहेंगे।

• मैं आज जो शपथ ले रहा/रही हूँ।
यह शपथ अन्य 100 व्यक्तियों की भी ज़िम्मेदारी
हिलानेगी, जो हर लाल 100 घण्टे स्वच्छता
के काम में होंगे।

• गँडगी जी के लपनों का भारत धिक् आकास
ज्मारत नहीं, स्वच्छता लाफ - लुधरा भारत की
इसलिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

प्रस्ताव सं-01 लामुडाडि शौचालय निर्माण - ग्राक असनापट

प्रस्ताव सं-02 लामुडाडि शौचालय निर्माण - ग्राक - धाना

प्रस्ताव सं-03 लामुडाडि शौचालय निर्माण - ग्राक - कटवाहाडडल

प्रस्ताव सं-04 लामुडाडि शौचालय निर्माण - ग्राक - डीपुरा

प्रस्ताव सं-05 लामुडाडि शौचालय निर्माण - ग्राक - लमडिपावाडी

प्रस्ताव सं-06 लामुडाडि शौचालय - निर्माण - ग्राक - गोराला

कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा.6 : 2380748

G. P. 11

2014/15 वर्ष

अंशिक

पंचायत समिति

किशनगंज

जिला

छात्र

वर्ष

पस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
प्रस्ताव सं- 7.	लामुडाडि शेराबाख निर्माण - ग्राह - गोपालपुर	
प्रस्ताव सं- 8.	लामुडाडि शेराबाख निर्माण - ग्राह - बिसलपुर	
प्रस्ताव सं- 9.	लामुडाडि शेराबाख निर्माण - ग्राह - पाही	इमपनी
प्रस्ताव सं- 10.	आज डिमांड 02/10/2014 को ग्राम) आयोजित किया गया जिसमें वन क्षेत्र में जाने वाली लड़क रामगढ़ काका पड़ल लड़क डिमांड 2/500 से करवाला लड़की पुरा जो वन विभाग की शक्ति से गुजर रही है, वर्तमान में लड़क डिमांड निर्माण हेतु ग्राह समा में वन-शक्ति में लड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया तथा सर्व समिति से लड़क डिमांड की ठाही आयोजितता करार एवं डिमांडी लड़क डिमांड वन क्षेत्र में लड़क बनाने में कोई बाधा नहीं है। उम्मीद प्रस्ताव ग्राह समा से रजिस्ट्रार में कुमांड 10 पर इ-डांड है, तथा ग्राह समा में 50 प्रतिशत से अधिक लड़कों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रस्ताव सं- 11 से 10 तक 6) अडमोड ग्राह समा (सर्व समिति से दिया गया तथा समस्त बंड डिमांडी को उपस्थित लड़कों से समस्त पड़ल बुनाया गया व अडमोड किया गया। सीमा 11 सर्व समिति से धन्यवाद प्रस्ताव पश्चात् बंड डिमांडी 11 समाप्त की गई।	
	कमलेश सरपंच ग्राम पंचायत असनावर प.स. किशनगंज (बारा)	ग्राम सचिव पदम साव ग्राम पंचायत असनावर प.स. किशनगंज जिला बारा

आज दिनांक 02/10/2014



को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाली लक्ष्मीपुरा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 10 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

कमलेश्वर

सरपंच ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत असेनावर
पंचायत समिति कठोली नगाल

सचिव

सचिव ग्राम पंचायत

ग्राम सचिव सचिव
ग्राम पंचायत असेनावर
पंचायत समिति कठोली नगाल

आज दिनांक 31/10/19 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 10/02.10.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड किशनगंज

रेंजर वन क्षेत्र
किशनगंज / केसवाडा /
भवंसगढ / नमहरगढ

विकास अधिकारी
पं.स. किशनगंज

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

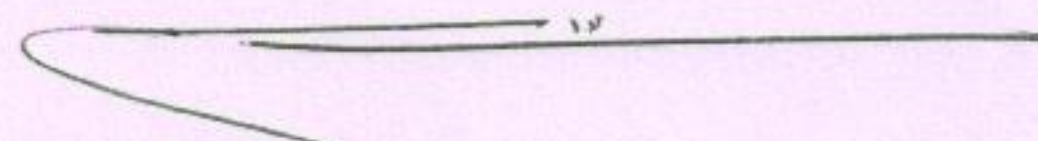
No. 10/2014Dated 25.11.2014**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Ramgarh kala patta sadak km 2/500 to karwala laxmipura** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Laxmipura(Karwala) and Ramgarh** village(s) in **Kishanganj** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sbha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (XI).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.


(Lalit Kumar Gupta)**Collector & D.M.**

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)